न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

...वाद संख्या : 24 / 2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
...लसिह पुत्र स्व0 बाबुलालजी ...पूसिह पुत्र स्व0 बाबुलालज ... माली निवासीगण ग्राम ...लावास तहसील लूणी जिला ...पुर।		01.शीतल पत्नि अमित लदड 02.सरोज पत्नि राजेन्द्र लदड जतियान माहेश्वरी निवासीगण ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 03.रूगनाथसिह पुत्र स्व0 भूरारामजी 04.चून्नीलाल पुत्र स्व0 भूरारामजी 05.ओमप्रकाश पुत्र स्व0 चिमनसिह उर्फ चिमनरामजी 06.मनोहरसिह पुत्र स्व0 चिमनसिह उर्फ चिमनरामजी 07.सन्तोकसिह पुत्र स्व0 चिमनसिह उर्फ चिमनरामजी 08.ज्ञानकवर पत्नि पुत्र स्व0 चिमनसिह उर्फ चिमनरामजी जाति माली ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 09.मंजूलता पुत्री स्व0 चिमनसिह उर्फ चिमनारामजी पत्नि श्री प्रेमसिह जाति माली निवासी ग्राम माथनिया तहसील तिवरी 10.गीता पुत्री स्व0 पुत्र स्व0 चिमनसिह उर्फ चिमनारामजी पत्नि श्री अभिषेक जी जाति माली निवासी गहलोत कुलर रिलान्यस पेटोल पम्प कि पिछे पाल गाव तहसील एव जिला जोधपुर। 11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लुणी।

दावा वास्ते बटवाडा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति –

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवडा उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वरसिह चाम्पावत और हनुमान प्रजापति उपस्थित।

आदेश दिनांक :– 30/09/2021

पत्रावली आज पेश हुई प्रकरण मे दिनाक 01.10.2019 को बटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश पारित किया जाकर वाद प्राथमिक डिकी किया गया। तहसीलदार लूणी द्वारा ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा नम्बर 48 की कुल भूमि रकबा 102 बीधा 02 बिस्वा का बटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भूअ/2021/1492 दिनाक 23.07.2021 को तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण मे बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनाक 21.07.2021 के अनुसार खसरा नम्बर 48 कुल रकबा 102 बीधा 02 बिस्वा भूमि के खातेदारो के रूबरू बटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके अनुसार बटवाडा प्रस्ताव निम्न अनुसार है:–

क,स	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (बीधा)	किस्म	लगान
01	मालसिह पुत्र बाबुलाल जाति माली सा देह खातेदार	48/4	10.14	बा, 3	3.21
02	पप्पूसिह पुत्र बाबुलाल जाति माली सा देह खातेदार	48/5	12.14	बा, 3	3.81
03	शीतल पत्नि अमित लदड जाति	48/6	6.00	बा, 3	1.80

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सरोज पति [illegible] जाति माहेश्वरी सा बोरानाडा खातेदार	48 / 7	4.00	बा, 3	1.20
मालसिह पप्पुसिह पिता बाबूलाल जाति माली सा देह खातेदार	48 / 1	00.05.06	बा, 3	9.08
रूगनाथसिह चुन्नीलाल पिता भूराराम जाति माली सा देह खातेदार	48 / 2	33.13.07	बा, 3	10.10
ओमप्रकाश मनोहरसिह सन्तोकसिह पिता चिमनसिह उर्फ चिमनाराम मंजूलता गीता पुत्रियान् चिमनसिह उर्फ चिमनाराम जाति माली सा0देह खातेदार	48 / 3	33.13.07	बा, 3	10.10
मालसिह पिता बाबूलाल पप्पूसिह पिता बाबूलाल हि,1/3 रूगनाथसिह चुन्नीलाल पिता भूराराम हि, 1/3 ओमप्रकाश मनोहरसिह सन्तोकसिह पिता चिमनसिह उर्फ चिमनाराम मजूलता गीता पुत्रीयान चिमनसिह उर्फ चिमनाराम हि, 1/3 जाति माली सा,देह खातेदार	48	1.02	बा, 3	0.33

उपरोक्तानुसार वादीगण एव प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार बटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द मे उपरोक्त हिस्से अनुसार नजरी नक्शा भी मौके पर काबिज अनुसार तथा हिस्से अनुसार दर्शाया गया है तथा सभी खातेदारो के आने जाने हेतु रास्ते का रकबा भी छोडा गया है ऐसी स्थिति मे वादीगण का वाद बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 21.07.2021 के अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

:–आदेश:–

अतःवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता है कि ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 48 कुल रकबा 102 बीघा 02 बिस्वा के सम्बन्ध मे बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 21.07.2021 मे दर्शार्य गये हिस्से अनुसार वादीगण एव प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। मौका फर्द दिनांक 21.07.2021 इस आदेश का अभिन्न अगं समझी जावेगी। तहसीलदार लूणी मौका फर्द दिनाक 21.07.2021 अनुसार राजस्व रेकार्ड मे आवश्यक अमल दरामद करे वादीगण तथा प्रतिवादीगण के खाते मे मौका फर्द बटवाडा प्रस्ताव मे दर्शाये गये हिस्से अनुसार अलग अलग खाते मे दर्शाये गये व नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे मे इन्द्राज व तरमीम दर्ज करे। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
न्यायालय सहायक कलक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी लूणी
लूणी

निर्णय आज दिनाक 30/9/2021 को बसरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
एव उपखण्ड अधिकारी लूणी
लूणी